चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

E.mail : ar.affiliation@ccsuniversity.ac.in NAAC A++ Website :
www.ccsuniversity.ac.in

पत्रांकः—सम्बद्धता /1946 /2026—27 दिनांक :05.08.2026

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या / सचिव
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

समस्त विभागाध्यक्ष / समन्वयक / निदेशक
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, परिसर
मेरठ

महोदय / महोदया,

कृपया उप निदेशक (प्रशा0 / विप0), राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0, मेरठ के संलग्न पत्र संख्या—सं0का0मे0 / 2026—552 दिनांक 04.07.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो कि मुख्यमंत्री कृषि छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत लाभान्वित होने तथा राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद लखनऊ लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा खतेदार मजदूरों के प्रतिभावान पुत्र एवं पुत्रियों को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा है कि आप उप निदेशक (प्रशा0 / विप0), राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0, मेरठ के पत्र में दिये गये दिशा निर्देशों के आलोक में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

05/8/26
कुलसचिव

प्रतिलिपिः—
01. वैयक्तिक सहायक कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. प्रभारी प्रैस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
03. प्रभारी विश्वविद्यालय बेवसाइट चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

कुलसचिव

RM042
17/07/2026

A1632
17/7/26

AR (Affiliation)
Circulate letter to colleges
Blue 17/7/26
कुलसचिव
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

कार्यालय सम्भागीय उपनिदेशक(प्रशासन/विपणन)
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0
ए–3, दामोदर कालोनी,गढ रोड , मेरठ

पत्रांक–सं0का0मे0/–2026–552

दिनांक 04-07-2026

सेवा में,

1–कुलपति,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।
2–कुलपति,
सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्यागिक विश्वविद्यालय
मोदीपुरम, मेरठ।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्रांकः–1866 दिनांक 04.02.2025 एवं परिषद मुख्यालय के पत्रांकःविप0–03/(छात्रवृत्ति–173)/2024–989 दिनांक 06.11.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा मा0 संचालक मण्डल की 168वीं बैठक दिनांक 19.06.2023 के अन्य प्रस्ताव मद संख्या–2 में मण्डी परिषद द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कृषि छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत लाभान्वित होने वाले विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की सूची में 04 नए विश्वविद्यालयों एवं 37 महाविद्यालयों को सम्मिलित करते हुए मुख्यमंत्री कृषक कल्याणकारी योजनाओं के दिशा–निर्देश सम्बन्धी परिषद पत्रांकःविप0–3/2743/2018–536 दिनांक की प्रति संलग्न कर योजना से आच्छांदित संस्थानों को नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का अनुरोध किया गया है। उपर्युक्त संस्थानों के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय, आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होने का उल्लेख किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद लखनऊ द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा खेतिदार मजदूरों के प्रतिभावान पुत्र एवं पुत्रियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

अतः उपरोक्त के कम में आपसे पुनः अनुरोध है कि परिषद मुख्यालय लखनऊ के पत्रांकःविप0–03/(छात्रवृत्ति–173)/2024–989 दिनांक 06.11.2024 की छाया प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि सूची में अंकित विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों को उक्त योजना के सम्बन्ध में पात्र अभ्यर्थियों को नियामानुसार लाभ प्राप्त करने हेतु अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें। योजना से सम्बन्धित परिषद आदेशों/निर्देशों की छाया प्रतियां संलग्न है।

संलग्नकः–यथोपरि

भवदीय,

(राजीव राय)
उप निदेशक (प्रशा0/विप0)

पृष्ठांकन एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1–निजी सचिव निदेशक को निदेषक महोदय के अवलोकनार्थ।

2–रजिस्टार, चौ0चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ/सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ।

3–प्राचार्य–उद्यान महाविद्यालय, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलोजी महाविद्यालय, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, किसान पी0जी0 डिग्री कॉलेज सिभौली गजियाबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवान्स स्टडीज, मेरठ।

4–सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति मेरठ को इस निर्देश के साथ कि विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त सम्बन्धित महाविद्यालयों में सम्पर्क कर चयन हेतु पात्र छात्र/छात्रओं की सूची प्राप्त कर सम्भागीय कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए नियामानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

5–समस्त सचिव/सभापति, मण्डी समितियों मेरठ सम्भाग मेरठ को इस निर्देश के साथ कि कृषकों में उक्त योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करें।

उप निदेशक (प्रशा0/विप0)